



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 18 Nov, 2025

Edition : International | Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 – International Relations / Prelims	युवाओं पर 2024 की कार्रवाई के मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई
Page 02 Syllabus : GS 3 : Environment & Ecology / Prelims	सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने पर विचार करना चाहिए'
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science & technology / Prelims	न्यूरोटेक्नोलॉजी पर यूनेस्को के नए दिशानिर्देश
In News Syllabus : GS 2 : Polity & Governance / Prelims	भारत में बलात्कार विरोधी कानूनों का विकास
In News Syllabus : Prelims	बटुकेश्वर दत्त को याद करते हुए - दफौरगाँटन रिवोल्यूशनरी
Page 08 : Editorial Analysis	भारत को अफ्रीका के साथ 'जुड़ने, निर्माण करने और पुनर्जीवित करने' की आवश्यकता है



Syllabus : GS 2 : International Relations

Page 01 : GS 2 – International Relations /Prelims

बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को 2024 के छात्र विद्रोह पर हिंसक कार्रवाई से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। यह विकास बांग्लादेश के हाल के इतिहास में सबसे नाटकीय राजनीतिक बदलावों में से एक है और क्षेत्रीय राजनीति, लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकारों और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए प्रमुख निहितार्थ रखता है - जो इसे यूपीएससी की तैयारी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।



Sheikh Hasina, associate sentenced to death over 2024 crackdown on youth

Rabiul Alam

DHAKA

A special tribunal in Bangladesh sentenced former Prime Minister Sheikh Hasina and former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal to death on Monday, finding them guilty of crimes against humanity during the state crackdown on a student uprising in July-August 2024.

Former Inspector-General of Police Chowdhury Abdullah Al-Mamun, who turned a state witness and testified before the tribunal against Ms. Hasina and Mr. Khan, was sentenced to five years in prison after he admitted to his involvement in the crackdown of the protests that led to the fall of the Hasina government. Reacting to the development, Ms. Hasina said the charges were unjustified, arguing she and Mr. Khan "acted in good faith and were trying to minimise the loss of life".

'Misreading facts'
"We lost control of the situation, but to characterise what happened as a pre-meditated assault on citizens is simply to misread the facts," the former Prime Minister said in a statement. "I mourn all of the deaths that occurred in July and August of last year, on both sides of the political divide. But neither I nor other political leaders ordered the killing of protesters," she added.

The verdict by the International Crimes Tribunal-I represents the most dramatic legal action against the Awami League leader and comes just months before the parliamentary



Protesters outside the residence of Sheikh Mujibur Rahman, former Bangladesh President and the father of Sheikh Hasina, in Dhaka. AP

election scheduled for February. The tribunal also asked the government to provide compensation to the families of the victims and to those injured during the crackdown.

Attorney-General Md Asaduzzaman said Ms. Hasina, who is now in exile in India, and Mr. Khan, who is also in exile, cannot appeal the ruling as long as they remain fugitives. He further said the court had ordered the attachment and confiscation of all properties belonging to Ms. Hasina and Mr. Khan within in Bangladesh, and that the state would take all necessary legal measures to implement the verdict.

Leaders and activists from various political and social organisations gathered outside the tribunal as the verdict was being read out. A group of students at Dhaka University were seen chanting slogans demanding execution of Ms. Hasina. Awami League activists took out processions across the country against the verdict. Several of them were arrested.

Shortly after the verdict, Home Affairs Adviser Lt. Gen. (Retd) Jahangir Alam

alleged that attempts are being made "from a neighbouring country" to destabilise Bangladesh's security and law-and-order situation.

'Extradite convicts'

"We urge the Government of India to immediately extradite the two convicts to the Bangladeshi authorities," Dhaka's Foreign Ministry said in a statement, adding that it was "an obligatory responsibility for India". Bangladesh warned that "granting asylum to these convicts... would be extremely unfriendly and an affront to justice."

The Awami League denounced the ruling. "We reject this illegal and politically motivated verdict of the 'Kangaroo Court' against Bangabandhu's daughter, the leader of the people and the President of the Awami League. We hope that the people of Bangladesh will reject this verdict. We will establish the rule of law in the country by releasing [Muhammad] Yunus very soon," Awami League organising secretary Shafiqul Alam Chowdhury Nadel told *The Hindu*.

करेंट अफेयर्स संदर्भ

• 2024 छात्र विद्रोह



- बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कथित अधिनायकवाद को लेकर जुलाई-अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
- सरकार ने बल के साथ जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं और बड़े पैमाने पर अशांति हुई।
- इस कार्रवाई को हसीना सरकार के पतन का एक प्रमुख कारक माना जा रहा था।

• न्यायाधिकरण का फैसला

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 को सुनाई गई सजा:
 - शेख हसीना
 - असदुज्जमां खान की मौत हो गई।
- पूर्व आईजीपी अब्बुल्ला अल-मामून राज्य के गवाह बन गए, उन्होंने संलिप्तता स्वीकार की और उन्हें 5 साल की सजा मिली।

• प्रतिक्रिया

- हसीना ने आरोपों को 'अनुचित' करार देते हुए दावा किया कि सरकार ने हताहतों की संख्या को कम करने के लिए 'अच्छे इरादे' से काम किया।
- ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने उसे फांसी देने की मांग की।
- अवामी लीग ने फैसले को 'अवैध' और 'राजनीति से प्रेरित' करार देते हुए इसकी निंदा की है।

• इंडिया एंगल

- दोनों दोषी फिलहाल भारत में निर्वासन में हैं।
- बांग्लादेश ने उन्हें तत्काल प्रत्यर्पण की मांग करते हुए इसे भारत की 'अनिवार्य जिम्मेदारी' करार दिया।
- ढाका ने चेतावनी दी कि हसीना को शरण देना एक 'अमित्र कृत्य' होगा।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- प्रत्यर्पण संधि के निहितार्थ
- शरण मानदंड और गैर-वापसी
- सीमा सुरक्षा पर प्रभाव
- क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता
- बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में चीन का प्रभाव

A. बांग्लादेश के संकट के पीछे के कारण



1. हसीना के नेतृत्व में सत्ता का केंद्रीकरण
2. चुनावों में कथित धांधली
3. विरोध और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध
4. युवा बेरोजगारी और आर्थिक तनाव
5. संस्थागत जांच और संतुलन का क्षरण
6. राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जनता का अविश्वास

B. न्यायाधिकरण के फैसले के मुद्दे

चिंता

- चुनाव से महीनों पहले घोषित किया गया फैसला संभावित राजनीतिक उद्देश्यों →
- विपक्ष ने "न्यायाधिकरण को "कंगारू अदालत" करार दिया
- हसीना और खान के निर्वासन के दौरान निष्क्रिय प्रक्रिया पर सवाल → सुनवाई हुई
- न्यायपालिका का संभावित शास्त्रीकरण

फैसले का समर्थन करने वाले तर्क

- गैरकानूनी राज्य हिंसा के लिए जवाबदेही
- पीड़ितों और प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय
- पुलिस अधिकारियों की पारदर्शी गवाही
- अत्यधिक राज्य बल के खिलाफ निरोध स्थापित करता है

C. भारत के लिए निहितार्थ

1. कूटनीतिक द्रुविधा

- भारत को संतुलन बनाना चाहिए:
 - कानूनी दायित्व
 - क्षेत्रीय स्थिरता
 - रणनीतिक हित
 - मानवीय विचार
- हसीना के प्रत्यर्पण से दीर्घकालिक द्विपक्षीय विश्वास प्रभावित हो सकता है।

2. सुरक्षा निहितार्थ



- पश्चिम बंगाल और असम में शरणार्थियों की आवाजाही का खतरा
- अस्थिर परिस्थितियों में चरमपंथी या भारत विरोधी तत्वों का उदय
- सीमा पर तनाव और सीमा पार अपराध
- आतंकवाद विरोधी सहयोग पर प्रभाव

3. भू-राजनीतिक चिंताएँ

- प्रभाव बढ़ाने के लिए राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा सकता है चीन
- बिम्सटेक, बीबीआईएन सहयोग पर प्रभाव
- बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा निहितार्थ

D. बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव

- अवामी लीग और विपक्ष के बीच सार्वजनिक धृतीकरण
- छात्र राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान
- स्थिति को स्थिर करने में सैन्य भागीदारी की संभावना
- आगामी चुनावों से पहले बढ़ी अनिश्चितता

(1) 'मानवता के विरुद्ध अपराध' को निम्नलिखित के अंतर्गत परिभाषित किया गया है:

आईसीसी का → रोम क्रानून

(2) भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि

→ मौजूद है, राजनीतिक अपराधों को अक्सर छूट दी जाती है।

(3) गैर-पुनर्स्थापना सिद्धांत

→ प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन अक्सर चुनिंदा रूप से पालन करता है)

(4) बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण

→ घरेलू अदालत; आईसीसी का हिस्सा नहीं।



निष्कर्ष

शेख हसीना की सजा एक न्यायिक फैसले से कहीं अधिक है - यह बांग्लादेश में एक गहरे राजनीतिक परिवर्तन का संकेत देती है, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत के लिए, इस स्थिति के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति, मानवीय सिद्धांतों, संधि दायित्वों और रणनीतिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है। यह एपिसोड राज्य की जवाबदेही, लोकतांत्रिक लचीलापन, युवा राजनीतिक लामबंदी और नागरिक स्वतंत्रता की नाजुकता के व्यापक विषयों पर प्रकाश डालता है - जो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्र हैं।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रोम संविधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) प्रणाली का एक हिस्सा है।
2. यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।
3. इसका अधिकार क्षेत्र केवल बांग्लादेश के क्षेत्र में फैला हुआ है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 2
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: "भारत के पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता सीधे भारत की सुरक्षा और विदेश नीति विकल्पों को प्रभावित करती है। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द)



Page 02 : GS 3 : Environment & Ecology / Prelims

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें राज्यों को **मानव-वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी)** को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। यह पीड़ितों को आपदा राहत मानदंडों के तहत संरचित मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने बाघ अभ्यारण्यों के कोर और बफर क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए और उत्तराखण्ड को पूरी तरह से जवाबदेह बनाते हुए क्षतिग्रस्त कॉर्बट टाइगर रिजर्व की बहाली का आदेश दिया।

यह निर्णय भारत के वन्यजीव शासन ढांचे को मजबूत करता है और संरक्षण और आजीविका संरक्षण के साथ संरेखित करता है, जिससे यह यूपीएससी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।



States must actively consider notifying any 'human-wildlife conflict' as natural disaster: SC

Krishnadas Rajagopal

NEW DELHI

The Supreme Court on Monday, in a judgment, said States must actively consider notifying 'human-wildlife conflict' as a natural disaster.

A Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai directed States to pay out an ex-gratia amount of ₹10 lakh to victims of human-wildlife conflicts under the Centrally Sponsored Umbrella Scheme of Integrated Development of Wildlife Habitats (CSS-IDWH).

"All States should have smooth and inclusive compensation policies for crop damage, loss of life of both human and cattle. In order to reduce the timelines to mitigate the issues resulting out of human-wildlife conflict, close coordination between different agencies



The Supreme Court directed States to notify buffer and core areas of their tiger reserves within the next six months. FILE PHOTO

and departments with mandated responsibilities should be ensured," the Supreme Court ordered.

Tree felling in Corbett

The court was hearing a petition alleging illegal tree-felling and construction in the Corbett tiger reserve, one of the oldest in the country.

The judgment made the State of Uttarakhand fully liable to restore and repair the Corbett ecology. The

State, in consultation with the Central Empowered Committee, was directed to submit a restoration plan for the reserve in two months, begin demolishing illegal constructions there in three months and file a compliance affidavit in the apex court in a year.

The judgment, authored by Chief Justice Gavai, directed States to notify buffer and core areas of their tiger reserves within the next six months.

1. प्राकृतिक आपदा के रूप में मानव-वन्यजीव संघर्ष

- राज्यों को एचडब्ल्यूसी को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने पर **सक्रिय रूप से विचार** करना चाहिए।
- यह पीड़ितों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और अन्य तंत्रों के माध्यम से मुआवजे के लिए पात्र बनाता है।

2. मुआवजे के निर्देश



- SC ने वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित अम्बेला स्कीम (CSS-IDWH) के तहत HWC के पीड़ितों को ₹10 लाख की अनुग्रह राशि अनिवार्य कर दी है।
- सभी राज्यों को इसके लिए सुचारू, समावेशी, समान मुआवजा नीतियां बनानी चाहिए:
 - मानव मृत्यु
 - मवेशियों का नुकसान
 - फसल को नुकसान

3. तत्काल समन्वय

- SC ने संघर्षों को तेजी से कम करने के लिए वन, राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुलिस और पंचायती राज विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया।

4. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व केस

- कॉर्बेट में अवैध रूप से पेड़ काटने और निर्माण की सूचना मिली।
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड को उत्तरदायी ठहराया :
 - 2 महीने में एक बहाली योजना जमा करें
 - 3 महीने के भीतर अवैध संरचनाओं को गिराना शुरू करें
 - 1 वर्ष के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें

5. बफर और कोर क्षेत्र अधिसूचना

- सभी राज्यों को 6 महीने के भीतर (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की आवश्यकताओं के अनुसार) बाघ अभयारण्यों के कोर और बफर जोन को अधिसूचित करना होगा।

स्थैतिक संदर्भ

मानव-वन्यजीव संघर्ष क्या है?



मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच बातचीत जिसके परिणामस्वरूप होता है:

- जीवन की हानि
- चोट
- आजीविका पर प्रभाव
- फसल और संपत्ति को नुकसान

इसके कारण होता है:

- सिकुड़ते आवास
- अतिक्रमण
- वनों का विखंडन
- कुछ क्षेत्रों में जानवरों की आबादी बढ़ रही है
- जलवायु परिवर्तन जानवरों की आवाजाही को मजबूर करता है

प्राकृतिक आपदा वर्गीकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, "आपदा" में प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं शामिल हैं जिनमें जीवन या संपत्ति का नुकसान होता है।

यदि HWC को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया जाता है:

- मुआवजा स्वचालित और समान हो जाता है
- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के माध्यम से निधियों की त्वरित रिलीज
- सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रतिक्रिया

सीएस-आईडीडब्ल्यूएच योजना



- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना

समर्थन:

- टाइगर रिजर्व
- हाथी भंडार
- वन्यजीव आवास
- मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन

टाइगर रिजर्व में कोर और बफर क्षेत्र

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA), 1972 (**संशोधित 2006**) के तहत परिभाषित:

- कोर क्षेत्र:** क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट - कोई मानवीय गतिविधि नहीं
- बफर क्षेत्र:** सतत उपयोग क्षेत्र - पर्यावरण-विकास, सह-अस्तित्व
- राज्यों को इन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित करना चाहिए; कई लंबित हैं।

विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

1. एचडब्ल्यूसी को प्राकृतिक आपदा क्यों माना जाता है?

- राज्यों में एक समान मुआवजा सुनिश्चित किया
- वित्तीय राहत में देरी को कम करता है
- शमन को एक संरचित सरकारी जिम्मेदारी बनाता है
- वन सीमाओं में रहने वाले कमज़ोर समुदायों का समर्थन करता है
- राज्यों को इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया:



- सौर बाड़ लगाना
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- रैपिड रिस्पोंस टीमें

B. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उजागर हुई समस्याएं

- राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग जिससे अवैध निर्माण हो रहा है
- प्रशासनिक लापरवाही
- WLPA मानदंडों का उल्लंघन
- अत्यधिक संवेदनशील बाघों के आवास में पारिस्थितिक क्षति

SC के निर्देश पुष्ट करते हैं:

- जवाबदेही
- पारदर्शिता
- कानूनी अनुपालन

C. दीर्घकालिक निहितार्थ

- बेहतर संघर्ष शमन रणनीतियाँ
- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण
- ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के तनाव को कम करना
- बेहतर मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व



निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वन्यजीव संरक्षण को मानव कल्याण के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों से मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह करके, न्यायालय एक व्यवस्थित, मानवीय और उत्तरदायी मुआवजा तंत्र पर जोर देता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर सख्त कार्रवाई पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है।

यह संतुलित दृष्टिकोण - वन्यजीवों और लोगों दोनों की रक्षा करना - भारत के पर्यावरण शासन को मजबूत करता है और अनुच्छेद 48ए के संवैधानिक जनादेश और वैश्विक संरक्षण प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न : मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता दी गई है।
2. एचडब्ल्यूसी से संबंधित मौतों के लिए मुआवजा वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) के तहत प्रदान किया जा सकता है।
3. केवल केंद्र सरकार ही किसी घटना को "राज्य-विशिष्ट आपदा" घोषित कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)



UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: "मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल एक संरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक शासन चुनौती है। राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देशों के आलोक में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Page : 07 : GS 3 : Science & technology / Prelims

न्यूरोटेक्नोलॉजी - जो तंत्रिका गतिविधि को पढ़ने, रिकॉर्ड करने या प्रभावित करने के लिए मानव मस्तिष्क के साथ इंटरफेस करती है - एआई, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई), और न्यूरालिंक और यूएस ब्रेन इनिशिएटिव जैसे निवेशों के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है। इस तरह की शक्ति के साथ नैतिक जोखिम आता है, जिसमें विचारों का हेरफेर, मस्तिष्क डेटा का दुरुपयोग और मानसिक गोपनीयता का क्षरण शामिल है। इस संदर्भ में, यूनेस्को ने न्यूरोटेक्नोलॉजी को विनियमित करने, मानसिक अखंडता की रक्षा करने और जिम्मेदार नवाचार का मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया का पहला वैश्विक मानक नैतिक ढांचा (नवंबर 2024) जारी किया है।



What are UNESCO's new guidelines for the use of neurotechnology?

Neurotechnology refers to devices and procedures that access, assess, and act on neural systems, including the brain; if the brain were a radio station, neurotechnology is the set of devices to help tune it; it merges advances in neuroscience, engineering, and computing to improve brain function

Neethu Rajam

UNESCO issued the first global normative framework on the ethics of neurotechnology on November 12. This recommended standard is designed to maintain a balance between innovation and human rights to protect the human brain from potential misuse.

Such misuse includes exploiting brain signals to fill or persuade messages, using brain data for political marketing, for deciding premiums in insurance, or even using chip implants that allows to submit brain data tests to screen for suitability, stress tolerance, and hidden traits in an employment setting.

The emerging field of neurotechnology has the potential to do much more than this way – and the UNESCO framework provides guidance for anyone studying, researching, and developing applications of the technology to prevent such faults.

Defining neurotechnology

Neurotechnology refers to devices and procedures that access, assess, and act on neural systems, including the human brain. In the broadest definition, neurotechnology is the set of devices to help tune in to the brain.

With advances in research and innovation projects like the U.S. BRAIN Initiative and Elon Musk's Neuralink, there is significant interest today in brain-computer interfaces, particularly in the field of artificial intelligence (AI). For example, AI-assisted neuroimaging can allow doctors to precisely detect tumors and identify the possibility of stroke in people.

Similarly, AI technologies are being applied in neuroscience, engineering, and advanced computing to explore solutions that improve brain function and extend human capabilities – and it has made its entry into medicine. A UNESCO study published in 2023, public investments in neurotechnology already exceeded \$6 billion. Private investment had already grown to \$7.3 billion by the end of 2022.

While the growth has been linked to the prospect of human enhancement and promising benefits in medicine, such as alleviation of mental illnesses, curing cognitive physical disabilities, and improving palliative care, it also evokes numerous concerns.

Neurotech challenges
Neurotechnology allows neurodata – aka a neural or brain data – to be decoded, giving rise to concerns about misuse, commercialism, and informed consent among users.

To address them, the scientific community and political bodies alike have for some time now been seeking "norms" and ethical standards that help innovations prioritize the moral, psychological, and emotional protection of the brain.

Some "norms" have begun to take root to address issues like mental privacy, integrity, and liberty. And while they are yet to be codified, there is a general consensus that such rights are important when it comes to users interacting with neurotechnology.

Many jurisdictions have begun recognizing some neurorights as well. Chile is the first country to protect "mental integrity" in its Constitution. The



A neurosurgeon at UCSF Medical School prepares to connect an experimental brain implant that will help a paralysed person speak by reading his brain signals. (UCSF photo)

State of California signed a law in 2024 that protected people's brain data from being potentially misused by neurotechnology companies.

However, the recommendations, focused on individual rights, until the late 2000s

there were still significant gaps in the standards for R&D in neurotechnology research. In 2015, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) developed the first international standards on "Responsible Innovation in Neurotechnology Enterprises," which focused on the "responsible development of" novel technologies via responsible technology transfer.

It also drew attention to the use of intellectual property (IP) rights, including in the form of patents, to protect neurotechnology at invention and the development of patent pools (which allow multiple companies and/or inventors to contribute to a shared license or co-ownership of all types of neural data from misuse, non-discrimination, inclusivity, accountability, transparency, and ethical standards).

The other guidelines also called for free licensing to allow economically developing countries to customize technologies in their needs and evolve strategic partnerships.

Then, a few years later, in 2017, the UNESCO International Bioethics Committee published a report on the ethical issues of neurotechnology; among other things, it called for a comprehensive framework in governing neurotechnology innovations.

UNESCO's framework

UNESCO's new framework, which came at the result of a two-year consultation since 2020, The recommendations focus on human dignity, human rights, gender equality, social and global justice, and sustainable development – and recognize the need for a "responsible" or "ethical" approach to neurotechnology innovation for medical and assistive applications.

The recommendations are based on a three-pronged strategy: (i) defining the

neurotechnology allows neurodata – aka, neural or brain data – to be decoded, giving rise to concerns about user privacy, protection against misuse, and informed consent among users

nature and scope of neurotechnology and neurodata; (ii) identifying the values, principles and offering directions to nations to incorporate the recommendations in particular on particular sectors (health and education, among others); (iii) and considering for vulnerable populations such as children and older adults.

In addition, the recommendations say the following principles ought to govern neurotechnology innovation: beneficence, proportionality, no harm, autonomy, and non-maleficence. These principles are to be shared among all types of neural data from misuse, non-discrimination, inclusivity, accountability, transparency, and ethical standards.

In advancing these principles, the recommendations explicitly prohibit any use of neural or non-neural data for research, commercial or deceptive purposes, including in politics, business, and commercial contexts. They also heighten attention towards the principles of autonomy, informed consent, and the right to withdraw.

Implications for innovation

As noted in its preface, the new framework aims to facilitate a possible model of regulation and innovation (R&I) approach to neurotechnology, both in the public and the private sectors. This involves formalizing a strategy to achieve ethical innovation through a "responsible" or "ethical" approach by systematically weighing the benefits along with the risks involved.

An R&I approach requires researchers to think ahead about the effects of a

technology they are developing on people and the planet; involving the public and other stakeholders to join the conversation; and to shape their research with society's needs and needs.

While acknowledging the importance of this, the framework also calls attention to the role of intellectual property rights in incentivizing neurotechnology innovation, as it involves the risks associated with the commodification of the human body.

To this end, the recommendations call for an open science model so that research findings are available to everyone. Open science models work like a public library: the data, software, technology, and methods are to be shared openly so that anyone can verify, reuse,

However, this approach is inimical to intellectual property rights, which prize private control and licensing. Thus, a plan must be made to sell the IP rights. As neurotechnology development will also require strong follow-through, more so since innovation incentives have for a long time now spurred neurotechnology development.

Innovation experts like Sebastian Proehlauer also have noted that while effective governance for neurotechnology innovation is based on the principles, they must be relevant to self-regulation, existing company ethics policies, ethics boards and ethics-by-design approaches to R&D.

Taken together, the recommendations call for a "responsible" or "ethical" approach to neurotechnology innovation. However, fostering R&I within neurotechnology is less about choosing a single model and more about creating a "co-regulation of innovation pluralism where different models coexist, informed by commitments to ethical principles and standards, such as the ones now presented."

Dr. Neethu Rajam is associate professor of intellectual property and technology law, National Law University Delhi. neethu@nlu.edu.in

प्रमुख समाचार बिंदु

यूनेस्को का ढांचा 12 नवंबर, 2024 को लागू हुआ

यह न्यूरोटेक्नोलॉजी की नैतिकता को नियंत्रित करने वाला पहला वैश्विक मानक है

उद्देश्य: मानवाधिकार संरक्षण के साथ नवाचार को संतुलित करें

राजनीतिक, वाणिज्यिक, चिकित्सा संदर्भ में तंत्रिका डेटा के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई

सूचित सहमति, स्वायत्तता, विचार की स्वतंत्रता पर जोर देता है

न्यूरोटेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है?



उपकरण/प्रक्रियाएं जो:

- मस्तिष्क तक पहुंचें
- तंत्रिका गतिविधि का आकलन करें
- तंत्रिका तंत्र पर कार्य करें

उदाहरण:

- मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (बीसीआई)
- तंत्रिका प्रत्यारोपण
- ईईजी-आधारित संज्ञानात्मक मूल्यांकन
- एआई-आधारित न्यूरोइमेजिंग
- तंत्रिका प्रोस्थेटिक्स

सार्वजनिक निवेश: \$ 6 बिलियन निजी निवेश: \$ 7.3 बिलियन (2020)

न्यूरोटेक्नोलॉजी को विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

मस्तिष्क डेटा प्रकट कर सकता है:

- प्राथमिकताएँ
- भावनाएं
- तनाव का स्तर
- संज्ञानात्मक अवस्थाएँ

द्रुरूपयोग के जोखिमों में शामिल हैं:

- राजनीतिक हेरफेर
- व्यावसायिक लक्ष्यीकरण
- कार्यस्थल प्रोफाइलिंग
- बीमा भेदभाव
- मानसिक गोपनीयता का नुकसान → "न्यूरोराइट्स" की धमकी

यूनेस्को के नए दिशानिर्देश - प्रमुख विशेषताएं

A. त्रि-आयामी रणनीति

- एक. न्यूरोटेक्नोलॉजी + न्यूरोडेटा को परिभाषित करें
- दो. राज्यों के लिए मूल्यों और सिद्धांतों की पहचान करें
- तीन. कमजोर समूहों (बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग) के लिए विशेष सुरक्षा उपाय

B. नैतिक सिद्धांत (UPSC मेन्स के लिए प्रमुख फोकस)

यूनेस्को का कहना है कि न्यूरोटेक्नोलॉजी का पालन करना चाहिए:

- मानवीय गरिमा और विचार की स्वतंत्रता
- उपकार और गैर-दुर्भावना



- स्वायत्ता और सूचित सहमति
- तंत्रिका डेटा का संरक्षण
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- समावेशिता और गैर-भेदभाव
- ज्ञानमीमांसा व्याय (ज्ञान तक उचित पहुंच)
- भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा

C. स्पष्ट निषेध

यूनेस्को प्रतिबंध:

- राजनीतिक अनुनय के लिए तंत्रिका डेटा में हेरफेर करना
- बीमा प्रीमियम निर्णयों के लिए मस्तिष्क संकेतों का उपयोग करना
- मस्तिष्क परीक्षण के आधार पर रोजगार जांच
- मानसिक अवस्थाओं का व्यावसायिक शोषण
- तंत्रिका या गैर-तंत्रिका डेटा का कोई भी भ्रामक उपयोग

D. जिम्मेदार अनुसंधान और नवाचार (RRI) दृष्टिकोण

शोधकर्ताओं को चाहिए:

- एक. सामाजिक प्रभावों का अनुमान लगाएं
- दो. जनता और हितधारकों को शामिल करें
- तीन. सामाजिक मूल्यों के साथ नवाचार को सरेखित करें
- चार. "नैतिकता-दर-डिज़ाइन" का पालन करें

E. बौद्धिक संपदा और मुक्त विज्ञान पर स्थिति

यूनेस्को का आह्वान करता है:

- साझा डेटा, खुले तरीकों → खुला विज्ञान
- लेकिन मानव शरीर के कमोडिफिकेशन के बारे में चेतावनी देता है
- नवाचार प्रोत्साहन और सार्वजनिक भलाई के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया

निष्कर्ष

यूनेस्को के नए न्यूरोटेक्नोलॉजी दिशानिर्देश उभरती प्रौद्योगिकियों के वैश्विक शासन में एक ऐतिहासिक कदम है। जैसे-जैसे न्यूरोटेक्चिकित्सा, शिक्षा और मानव वृद्धि में बढ़ता है, मानसिक गोपनीयता, स्वायत्ता और तंत्रिका अखंडता की रक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ढांचा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि नवाचार मौलिक मानवाधिकारों की कीमत पर न आए और एक संतुलित, नैतिक और समावेशी वैश्विक न्यूरोटेक्नोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र उभर सके।



UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: तंत्रिका प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो मानव मस्तिष्क में तंत्रिका गतिविधि को पढ़ और प्रभावित कर सकती हैं।
2. यूनेस्को ने न्यूरोटेक्नोलॉजी के लिए पहला वैश्विक नैतिक ढांचा जारी किया है।
3. यूनेस्को के दिशानिर्देशों के तहत न्यूरोटेक्नोलॉजी का उपयोग राजनीतिक अनुनय और रोजगार प्रोफाइलिंग में किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: "न्यूरोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य देखभाल में अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करती है लेकिन गहन नैतिक चुनौतियों को उठाती है। इस संदर्भ में यूनेस्को के नए वैश्विक दिशानिर्देशों के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)



In News : GS 2 : Polity & Governance

भारत का बलात्कार-विरोधी कानूनी ढांचा दशकों के सार्वजनिक आक्रोश, न्यायिक आत्मनिरीक्षण और विधायी सुधार के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1979 के **तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (मथुरा बलात्कार मामले)** के फैसले की हालिया आलोचना संस्थागत प्रतिबिंब के एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है। इस फैसले ने भारत के सबसे मजबूत महिला अधिकार आंदोलनों में से एक को इस गलत धारणा पर बरी कर दिया कि बाहरी चोटों की अनुपस्थिति का अर्थ सहमति है, हिरासत में बलात्कार के मामले में दो पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया था। इस घटना ने प्रमुख आपाराधिक कानून संशोधनों को उत्प्रेरित किया, जिससे सहमति की मजबूत परिभाषाएं, हिरासत में बलात्कार की मान्यता और महिलाओं के लिए व्यापक सुरक्षा हुई। 1979 से 2023 तक की भारतीय न्याय संहिता (BNS) तक का प्रक्षेपवक्र यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के लिए गरिमा, स्वायत्तता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत के निरंतर प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।



स्थैतिक संदर्भः कानूनी अवधारणाएँ

A. कानून में सहमति (धारा 375, IPC/अब BNS)

- सहमति स्वतंत्र, स्वैच्छिक, स्पष्ट होनी चाहिए
- निष्क्रिय सबमिशन ≠ सहमति
- मौन या कमजोर "नहीं" ≠ सहमति
- अधिकार, भय या जबरदस्ती के तहत प्राप्त सहमति अमान्य है

B. कस्टोडियल रेप (1983 के बाद)

- पुलिस, लोक सेवकों, जेल अधिकारियों, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बलाकार
- सबूत का बोझ आरोपियों पर डाल दिया गया

C. विशाखा दिशानिर्देश (1997)

- भंवरी देवी मामले के बाद कार्यस्थलों के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा
- बाद में इसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के रूप में संहिताबद्ध किया गया

मथुरा रेप केसः एक टर्निंग प्वाइंट

घटना (1972)

- उत्तरजीवी: 14-16 वर्षीय आदिवासी लड़की
- थाने में रेप
- ट्रायल कोर्ट: उसकी गवाही खारिज कर दी
- हाईकोर्ट: दोषी पुलिसकर्मी
- **सुप्रीम कोर्ट (1979):** कोई चोट नहीं होने का हवाला देते हुए बरी कर दिया → सहमति ग्रहण की

क्यों था फैसला त्रुटिपूर्ण

- हिरासत में जबरदस्ती की उपेक्षा की गई
- उपेक्षित उम्र, भेद्यता, शक्ति असंतुलन
- "आदत" यौन व्यवहार की प्रबलित पितृसत्तामक धारणाएं

ऐतिहासिक पत्र (1979)



उपेंद्र बक्शी, लोटिका सरकार, वसुधा धगमवार और केलकर द्वारा लिखित - हाइलाइट किया गया:

- "सहमति" और "सबमिशन" के बीच अंतर
- थानों में गरीब महिलाओं का सुनियोजित उत्पीड़न
- सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहा कि वे गरीबी का चेहरा पहनकर पुलिस थानों का दौरा करें

इस पत्र ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया।

बलात्कार विरोधी कानून सुधारों का प्रक्षेपवक्र

A. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1983

मथुरा मामले से सीधे शुरू हुआ

- हिरासत में बलात्कार को अलग अपराध के रूप में पेश किया गया
 - सबूत का स्थानांतरित बोझ
 - दहेज से संबंधित अपराधों को और अधिक मजबूती से अपराध माना गया
 - महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया गया
-

B. विशाखा दिशानिर्देश (1997) - कार्यस्थल यौन उत्पीड़न

- भंवरी देवी के साथ गैंगरेप के बाद जनहित याचिका के आधार पर
 - निवारक, निषेधात्मक और निवारण तंत्र पेश किया गया
 - बाद में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 बन गया
-

C. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 (निर्भया के बाद)

न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति के आधार परप्रमुख सुधार:

- प्रवेश से परे बलात्कार की विस्तारित परिभाषा
- वस्तुओं/शरीर के अंगों को सम्मिलित करने जैसे गैर-सहमति वाले कृत्यों को मान्यता प्राप्त
- सहमति की आयु बढ़ाकर **18 वर्ष की गई**
- पुलिस द्वारा "कोई एफआईआर इनकार" दंडनीय नहीं बनाया गया
- अस्पतालों को मुफ्त इलाज देना चाहिए



- पीछा करने, दृश्यरतिक्रम, एसिड हमलों का परिचय दिया
- स्पष्ट किया कि कमज़ोर नहीं या मौन सहमति नहीं है
- चरम मामलों के लिए मौत सहित बढ़ी हुई सजा

D. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018

(उन्नाव और कठुआ के बाद के मामले)

- 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप पर मौत की सजा
- 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के लिए कम से कम 20 साल
- तेजी से जांच: जांच के लिए 2 महीने + मुकदमे के लिए 2 महीने
- अपील निपटान के लिए 6 महीने

E. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

नवीनतम सुधारों में शामिल हैं:

- **लिंग-तटस्थ यौन अपराध** (पीड़ित + अपराधी)
- नाबालिंग के साथ सामूहिक बलात्कार (<18 वर्ष): मृत्यु या आजीवन कारावास
- जोड़े गए अपराध:
 - झूठे बहाने के तहत संभोग
 - यौन उत्पीड़न की विस्तारित परिभाषा
- पुनर्गठित प्रावधानों लेकिन मुख्य सुरक्षा को बरकरार रखा

निष्कर्ष

मथुरा का फैसला, जो कभी संस्थागत विफलता का प्रतीक था, सुधार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन गया है। चार दशकों में, भारत के बलात्कार-विरोधी कानून सहमति की संकीर्ण, पितृसत्तात्मक व्याख्याओं से अधिक उत्तरजीवी-केंद्रित, अधिकार-आधारित ढांचे की ओर बढ़ गए हैं। जबकि 1983 के सुधारों से लेकर 2013 निर्भया अधिनियम और 2023 बीएनएस तक कानूनी प्रक्षेपवक्र प्रगति को दर्शाता है, पुलिस जवाबदेही, सामाजिक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन में लगातार अंतराल बने हुए हैं। यह यात्रा भारत की विकसित समझ को दर्शाती है कि यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के लिए न्याय न केवल मजबूत कानूनों की मांग करता है, बल्कि गहरे सामाजिक परिवर्तन और संस्थागत संवेदनशीलता की भी मांग करता है।

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION



प्रश्न: "भारत में बलात्कार विरोधी कानूनों का विकास न्यायिक विफलताओं, जन आंदोलनों और विधायी सुधारों के बीच गहरे परस्पर संबंध को दर्शाता है। मधुरा मामले से लेकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तक के प्रक्षेपवक्र के प्रकाश में चर्चा करें। (250 शब्द)

News : Prelims

बटुकेश्वर दत्त, जिन पर अक्सर भगत सिंह की छाया रहती है, भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण लेकिन भूले हुए व्यक्ति बने हुए हैं। 1929 की सेंट्रल असेंबली बमबारी, लंबे कारावास, बार-बार भूख हड़ताल और बलिदान में उनकी भूमिका भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के तरीके में गहरी खामियों को उजागर करती है। उनकी जयंती (18 नवंबर) के अवसर पर हाल ही में हुई चर्चाओं ने ऐतिहासिक मान्यता, स्मृति राजनीति और क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता के बाद की उपेक्षा पर सवालों को पुनर्जीवित किया है।



FULL CONTEXT



Burning embers: Status of freedom fighters Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru at their memorial at Hussainwala border, Ferozepur, Punjab in 2022. EV MOOKH

Remembering Batukeshwar Dutt, the forgotten comrade of Bhagat Singh

Celebrated briefly for his role in the Delhi Assembly bombing, Batukeshwar Dutt, who was born on November 18, 1910, spent much of his life in obscurity, neglected by the nation he helped liberate. His story is one of courage, sacrifice, and erasure

Chaman Lal

Don April 8, 1929, the *Hindustan Times* in Delhi rushed out a special evening edition while Bhagat Singh was being transported to the Central Assembly Hall, now Parliament, raising slogans of *Inqilab Zindabad* (Long Live the Revolution and *Sunarjanava ka Nish Ho Down with Imperialism). They selected the pamphlet "The Man the Dust Heavt". Reporters caught the words, and newspapers across India and abroad carried dramatic headlines. One international paper proclaimed: "Reds Storm the Assembly."*

The two young men were Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Both were arrested, tried, and convicted. While Bhagat Singh became one of the most iconic figures of the Indian freedom struggle, his comrade Dutt gradually faded from public memory, remembered only occasionally and rarely honoured with the dignity he deserved.

A revolutionary's journey
Batukeshwar Dutt was born on November 18, 1910, in the Burdwan district of Bengal. Convicted in the Delhi Assembly Bomb Case on June 12, 1923, he spent nine years in prisons across India – Multan, Jhelum, Trichinopoly, Salem, and even the Andamans. In each jail he resorted to hunger strikes, twice fasting for over a month, demanding humane treatment for political prisoners.

With Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev were executed in Lahore on March 23, 1931. Dutt was languishing in the Salton jail. That night he dreamt of Singh in chains, a vision that haunted him. Released in 1938, Dutt was

arrested during the Quit India movement of 1942 and spent another four years in jail.

After his release, he married Anjali, a school teacher, and settled in Patna with their daughter Bhavita. Dutt became a Professor of Economics at Patna College. But life after independence offered little stability. The Bihar government allotted him a cash deposit, but it proved financially unviable. President Rajendra Prasad intervened, urging the State to extend due consideration to him. The gesture resulted only in a token nomination to the Bihar Legislative Council – for the remainder of an existing member's six-month term.

Despite such neglect, Dutt remained respected by many political leaders. His health, however, declined in the mid-1960s. Afflicted with bone cancer, he was admitted to AIIMS, New Delhi, where he endured eight months of suffering. Local leaders, including Dutt's son, told his comrades that treatment could only ensure a "painless death". Plans to send him abroad were abandoned after the Indian High Commission in London reported that Dutt offered care equal to Europe's. Dutt passed away on July 20, 1965. Honouring his last wish, he was cremated at Hussainwala in Punjab, alongside Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. The site, which remained in Pakistan until 1965, had only recently come under Indian control for the construction of a memorial to the martyrs.

Neglect and recognition
For a brief moment after his death, the nation mourned. His funeral procession was massive, attended by the President, Prime Minister, central ministers, the Lok Sabha Speaker, and the Punjab Chief Minister. The funeral drew vast numbers of people along the streets.

Yet today, few remember that the farewell accorded to him rivalled those of the most revered leaders of his time.

Ironically, the Parliament building where he and Bhagat Singh had staged their daring 1929 protest still displays their portraits. In contrast, once an accused in V. D. Savarkar, once an accused in Gandhi's assassination case though later acquitted, hangs prominently opposite Gandhi's. In 2014, MPs including Dharamvir Gandhi and Sitaram Yechury protested this omission – but the demand to include Bhagat Singh – and by extension Dutt – was not met.

The story of this neglect was first documented by Chaman Lal Azad, a fellow revolutionary who later became a journalist. While caring for Dutt at AIIMS, Chaman Lal Azad wrote a series of articles in the Urdu daily *Pritam*. These were later compiled as *Bhagat Singh aur Dutt ki Amar Kahani* (1966), one of the most important histories of the early days of the revolutionary movement. The book contains Bhagat Singh's letters, court statements, and postcards – some published for the first time – along with Gandhi's letter to Dutt and rare photographs of him with Nehru and Indira Gandhi in 1963.

The book also records Dutt's conversations with fellow revolutionaries. In it, he spoke of Hari Krishan Talwar, who was hanged in 1931 for shooting Punjab's Lieutenant Governor, and of his comrade Ehsan Ishaq, who migrated to Pakistan, became a musician, and died penniless despite Chaman Lal Azad's efforts to help him. Dutt also disapproved of efforts made to turn his son into a rock star, and other comrades protested against it. Only Manoj Kumar's *Shahid* in 1965 won their approval, with the actor personally consulting Dutt.

Equally touching are accounts of his

bond with Bhagat Singh's family. Mata Vidya Devi, Bhagat Singh's mother, spent long periods with Dutt in his final days. She even sold a Hindi epic poem on Bhagat Singh, gifted to her son by Sri Sri Guru Nanak Dev Ji, to fund his Dutt's treatment. Revolutionary comrades such as Shiv Verma, Sadashiv Malaparkar, and Jatin Das's brother Kiran Das remained constantly by his side. Leaders including Home Minister Gulzar Lal Nanda, Defence Minister V. B. Chavan, Jagjeet Singh, Swaran Singh, and Dr. Sudhir Nayyar also visited him in hospital, though such respect was rarely extended while he was alive and struggling.

Ode to the forgotten soldier

Chaman Lal Azad used his book to underline Bhagat Singh's intellectual legacy – his ability to rise above religion and envision socialism as the foundation of India's future. Dutt himself remarked that he had been reading the book in bed, holding it in his hands, and reading wherever he went.

Despite having a shared vision of India's future, history has not treated Dutt kindly. He remains absent from memorials, textbooks, and the national consciousness. While newer works such as Justice Anil Verma's *Bhagat Singh ke Sahayogी Ratnokshay Dutt aur Bhagat Lal* (2007) and *Bhagat Singh* (2013) have attempted to reclaim his place, Chaman Lal Azad's earlier book, rich with first-hand memories, is nearly lost. Its Hindi translation, commissioned years ago by the Government's Publications Division, still lies unpublished due to copyright hurdles.

Dutt's life illustrates how revolutionaries in India are often remembered only in passing.

Chaman Lal is a professor (retired) and a former chairperson of the Centre of Indian Languages at Jawaharlal Nehru University.

कोर विश्लेषण

1. बटुकेश्वर दत्त का ऐतिहासिक महत्व

- 1929 की विधानसभा बमबारी में भगत सिंह के साथ सह-आरोपी।



- "बधिरों को सुनने के लिए" और औपनिवेशिक दमन को उजागर करने के लिए जानबूझकर गिरफ्तारी स्वीकार की।
- राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल करते हुए **9 साल जेल में बिताए।**
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान फिर से जेल गए।

2. स्वतंत्रता के बाद की उपेक्षा

- राष्ट्रीय क्रांतिकारी होने के बावजूद कोई स्थिर आजीविका नहीं मिली।
- बिहार सरकार का "कोयला डिपो आवंटन" विफल; विधान परिषद के लिए केवल 6 महीने के नामांकन की पेशकश की गई थी।
- लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद 1965 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, हालांकि नेताओं ने उनसे मुलाकात की।

3. मिटाना और चयनात्मक स्मृति

- संसद में भगत सिंह या दत्त के कोई चित्र नहीं हैं, हालांकि यह दूसरों (जैसे, सावरकर) को प्रदर्शित करता है।
- कुछ स्मारकों या स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में दत्त का उल्लेख है।
- कॉमरेड चमन लाल आजाद ने अपने अंतिम दिनों और क्रांतिकारी नेटवर्क का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन ये कार्य अस्पष्ट हैं।

4. यह आज क्यों मायने रखता है

- राष्ट्र-निर्माण के आख्यानों का मुद्दा उठाता है जो क्रांतिकारियों का चुनिंदा महिमामंडन या अनदेखा करते हैं।
- इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे समकालीन राजनीतिक प्रवचन कुछ आंकड़ों को अपनाता है जबकि दूसरों को दरकिनार करता है।
- समावेशी इतिहास, अभिलेखीय कार्य और संस्थागत स्मृति पर बहस को प्रोत्साहित करता है।

स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका

- एचएसआरए (हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन) ने असहयोग वापसी के बाद संघर्ष को कट्टरपंथी बना दिया।



- भगत सिंह और उनके सहयोगियों को बढ़ावा दिया गया:
 - इंकलाब जिंदाबाद
 - साम्राज्यवाद विरोधी समाजवाद
 - "कार्रवाई द्वारा प्रचार" का उपयोग

स्टैटिक सिलेबस में दत्त क्यों महत्वपूर्ण हैं

- आंदोलन के गैर-मुख्यधारा, कट्टरपंथी विंग का प्रतिनिधित्व करता है।
- का प्रतीक:
 - बहादुरी
 - वैचारिक प्रतिबद्धता
 - नैतिक विरोध (बम गैर-घातक थे)

वर्तमान संदर्भ

- उनकी जयंती (18 नवंबर) ने सार्वजनिक चर्चा को पुनर्जीवित किया।
- नए सिरे से बहस:
 - संसद में उनके चित्रों का अभाव क्यों है?
 - ऐतिहासिक स्मृति को कैसे आकार दिया जाता है।
 - भूले हुए क्रांतिकारियों को सम्मानित करने की मांग।
- व्यापक संदर्भ: स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के पुनर्मूल्यांकन में बढ़ती सार्वजनिक रुचि।

निष्कर्ष



बटुकेश्वर दत्त की कहानी भारत की अधूरी ऐतिहासिक स्मृति की याद दिलाती है। भगत सिंह एक राष्ट्रीय प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन दत्त – उनके साथी, साथी क्रांतिकारी और साथी पीड़ित– सार्वजनिक कल्पना में हाशिए पर बने हुए हैं। दत्त को सम्मानित करना केवल इतिहास को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक और वैचारिक नींव को पहचानने के बारे में है। भारत को ऐसे भूले हुए नायकों को मुख्यधारा के आछानों में एकीकृत करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बलिदान को राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में एक सम्मानजनक स्थान मिले।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: बटुकेश्वर दत्त के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में सेंट्रल असेंबली में गैर-घातक बम फेंके।
2. बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के सदस्य थे।
3. आजादी के बाद, उन्होंने बिहार विधान परिषद में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)



Page : 08 Editorial Analysis

India needs to 'connect, build and revive' with Africa

Ten years ago, New Delhi hosted the last India-Africa Forum Summit (IAFS-III). The 2015 summit was a moment of significance. Marking a leap in India's diplomatic imagination under Prime Minister Narendra Modi, India had welcomed representatives from all 54 African states.

Since then India has added 17 new missions across Africa. Trade has surpassed \$100 billion. Investment flows are gathering pace. India's support for Africa's global voice has grown. It was key in ensuring full membership for the African Union in the G-20. It is now time to take stock, not only of promises made but also of the foundations laid.

The opportunities and challenges

By 2050, one in four people on earth will be in Africa. India will be the world's third largest economy. Between these two lies a potential growth corridor of commerce, demography, technology and aspiration.

India is among Africa's top five investors, with cumulative investments of \$75 billion. However, the underlying model has shifted. From ports to power lines, vaccine production to digital tools, the message for engagement is clear. Build together.

The evolution of ties is visible. In April 2025, India and nine African navies (Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, the Seychelles, South Africa and Tanzania) exercised together in the first Africa-India Key Maritime Engagement (AIKEYME), initiating a security partnership rooted in shared oceanic geography.

India's Exim Bank recently extended a \$40 million commercial credit line to the ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID) – modest in scale, but a signal of interest in



Syed Akbaruddin
is a former Indian Permanent Representative to the United Nations and, currently, Dean, Kautilya School of Public Policy, Hyderabad

Ten years after India hosted the last India-Africa Forum Summit, the next chapter needs to be written

African-led development. Education remains a trusted pillar.

The new campus of IIT Madras, in Zanzibar, is the most visible example. Behind it stands decades of knowledge partnerships, including the Pan-African e-Network and India's Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme, which continue to train thousands across the continent.

These are not isolated efforts but part of a growing web. Beyond that, India continues to push for African representation in global institutions and contributes to United Nations peacekeeping missions on the continent.

India's trade with Africa is growing, but it still lags behind China. Indian firms arrive full of promise but are often slowed by small balance sheets and bureaucratic drag. The temptation to scale back is real, but erroneous.

Instead, India must move up the value chain. That means co-investing in future-facing sectors – green hydrogen, electric mobility and digital infrastructure. Africa today is asserting its terms. The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) is laying the groundwork for a single continental market. India's UPI and digital stack can complement this transformation. Alas, tools alone are not strategy. Delivery is. In cities such as Kigali (Rwanda), Nairobi (Kenya) and Lagos (Nigeria), African innovation ecosystems are growing. But the competition is global.

The human link

India's most enduring export to Africa is not technology. It is talent. Nearly 40,000 Africans have studied in India in the last decade, through the ITEC, the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and the e-Network platforms. Many have returned to shape policy, run

ministries or lead innovation back home. They are living bridges that carry trust across borders.

The movement is not one way. African students, athletes and entrepreneurs are carving their space in India. Nigerian footballers such as Ranti Martins have become household names. The Indian cricket team's fast bowling coach is South Africa's Morne Morkel. African voices are present in India's universities and laboratories. The partnership is not just strategic. It is lived.

Looking to the future

If India wants to sustain this momentum, three moves matter.

First, connect finance to real outcomes. Every line of credit must lead to something visible and valuable. Public finance must de-risk, not displace, private capital.

Second, build an India-Africa digital corridor. This should rest not only on UPI and India Stack but also on Africa's digital strengths. Together, we can co-develop platforms for health, education and payments that serve the Global South.

Third, revive the institutional backbone. The IAFS has not met since 2015. That Summit, at Mr. Modi's insistence, brought all of Africa together. As its chief coordinator, this writer saw first-hand the diplomatic energy it released. It is time to bring that spirit back, a date on India's diplomatic calendar.

There was a time when merchants crossed the Indian Ocean in search of spice and gold. Today, India and Africa are not just exchanging goods. They are beginning to exchange confidence, capacity, ideas, and connecting futures.

A decade after India welcomed all of Africa to Delhi, the next chapter needs to be written. India once extended a hand to the whole of Africa.

Now it is time to join hands and build together.

GS. Paper 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question : "भारत-अफ्रीका संबंध लेन-देन संबंधी जुड़ाव से सह-विकास साझेदारी में परिवर्तित हो रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)



संदर्भः

भारत-अफ्रीका संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। **2015 में ऐतिहासिक भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस-III)** के एक दशक बाद, दोनों क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय, आर्थिक, डिजिटल और भू-राजनीतिक बदलाव हुए हैं। जैसा कि भारत ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की भूमिका निभाने की आकांक्षा रखता है, अफ्रीका अवसर के भागीदार और भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति क्षमताओं के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में उभरा है। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत को अब **भारत-अफ्रीका साझेदारी की पूरी क्षमता का दोहन करने** के लिए तीन स्तंभों - कनेक्ट, बिल्ड और रिवइव के माध्यम से सहयोग को गहरा करना चाहिए।

कोर विश्लेषण

1. आईएएफएस-III के बाद से प्रगति

- भारत ने 2015 में सभी 54 अफ्रीकी देशों की मेजबानी की, जो एक राजनयिक मील का पथर है।
- तब से:
 - अफ्रीका में 17 नए भारतीय मिशन स्थापित किए गए।
 - भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।
 - 75 बिलियन डॉलर का संचयी निवेश, भारत को अफ्रीका के शीर्ष 5 निवेशकों में शामिल करता है।
 - भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 (**2023**) में प्रवेश सुरक्षित करने में मदद की।

यह प्रतीकात्मक कूटनीति से संरचित जुड़ाव में बदलाव का संकेत देता है।

2. उभरते अवसर

a. जनसांख्यिकीय और आर्थिक क्षमता

- 2050 तक, 4 में से 1 मनुष्य अफ्रीकी होगा।
- भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। साथ में वे वाणिज्य, जनसांख्यिकी, तकनीक और आकांक्षा के आधार पर एक "विकास गलियारा" बनाते हैं।

b. सहयोग के नए क्षेत्र



- **समुद्री सुरक्षा:** 9 अफ्रीकी देशों की नौसेनाओं के साथ पहली बार AIKEYME 2025 (अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव) भारत की हिंद महासागर रणनीति को इंगित करता है।
- **वित्त और विकास:** एकजिम बैंक की इकोवास को दी गई ऋण सहायता अफ्रीकी नेतृत्व वाले विकास में रुचि दिखाती है।
- **डिजिटल और शिक्षा सहयोग:**
 - आईआईटी मद्रास का जंजीबार परिसर (विदेश में पहला आईआईटी परिसर)।
 - पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, आईटीईसी कौशल कार्यक्रम।
 - इंडिया स्टैक और यूपीआई में अफ्रीकी डिजिटल परिवर्तन की प्रमुख संभावनाएं हैं।

c. प्रतिभा और लोगों से लोगों का जुड़ाव

- 10 वर्षों में **40,000** से अधिक अफ्रीकियों ने भारत में प्रशिक्षण लिया।
- कई लोग अब अफ्रीका में सरकार/नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाते हैं।
- भारतीय खेल, शिक्षा, उद्यमिता में अफ्रीकियों की संख्या बढ़ रही है।

यह एक **नरम शक्ति** पुल बनाता है, जो व्यापार या रक्षा से भी गहरा है।

प्रमुख चुनौतियां

- भारत अभी भी व्यापार और निवेश के पैमाने में **चीन** से बहुत पीछे है।
- भारतीय फर्मों का सामना:
 - छोटी बैलेंस शीट
 - नौकरशाही में देरी
 - जोखिम-घृणा
- अफ्रीका के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा (यूएसए, चीन, ईयू) को आकर्षित कर रहे हैं।

आगे का रास्ता

1. कनेक्ट करें

- वित्त को वास्तविक परियोजनाओं से जोड़ें।



- निजी निवेश को जोखिम से मुक्त करने के लिए भारतीय सॉवरेन फंड और क्रेडिट लाइनों का उपयोग करें।
- निष्पादन, निगरानी और वितरण में सुधार करें।

2. निर्माण करें

- भारत-अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर विकसित करना।
 - यूपीआई + इंडिया स्टैक + अफ्रीका का फिनटेक इनोवेशन।
 - स्वास्थ्य, शिक्षा, भुगतान के लिए संयुक्त मंच।
- नए क्षेत्रों में सह-निवेश:
 - ग्रीन हाइड्रोजन
 - ईवी पारिस्थितिकी तंत्र
 - स्वच्छ ऊर्जा
 - डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

3. पुनर्जीवित करें

- भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) को वापस लाएं, जिसकी बैठक 2015 के बाद से नहीं हुई है।
- राजनीतिक गति के लिए संस्थागत निरंतरता प्रदान करें।

स्थैतिक संदर्भ

भारत-अफ्रीका ऐतिहासिक संबंध

- हिंद महासागर व्यापार, उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता, दक्षिण अफ्रीका में गांधी की सक्रियता से जुड़ा हुआ है।
- केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस में भारतीय प्रवासियों का लंबे समय से सांस्कृतिक प्रभाव रहा है।

सहयोग के तंत्र

- आईएएफएस (2008, 2011, 2015) - शीर्ष भारत-अफ्रीका मंच।
- पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क - डिजिटल शिक्षा और टेलीमेडिसिन।
- आईटीईसी - क्षमता निर्माण।



- एक्जिम बैंक के माध्यम से ऋण की लाइने (एलओसी)।

वर्तमान संदर्भ

- 2015 के एक दशक में भारतीय वायुसेना ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।
- भारत की जी20 अध्यक्षता ने अफ्रीका के राजनयिक वजन को बढ़ाया।
- वैश्विक भू-राजनीति भारत को ग्लोबल साउथ के बीच नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर रही है।
- अफ्रीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत को अपनी रणनीति को परिष्कृत करने के लिए मजबूर करती है।

निष्कर्ष

भारत-अफ्रीका साझेदारी की गहरी ऐतिहासिक जड़ें और भविष्य की विशाल संभावनाएं हैं। लेकिन प्रगति के लिए अब रणनीतिक स्पष्टता, संस्थागत पुनरुद्धार और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन की आवश्यकता है। जैसे-जैसे अफ्रीका दुनिया का जनसांख्यिकीय केंद्र बन गया है और भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है, उनकी साझेदारी को वादों से प्रदर्शन तक विकसित होना चाहिए। अगला अध्याय ऐसे सहयोग की मांग करेगा जो भविष्योन्मुखी, डिजिटल रूप से एकीकृत और पारस्परिक रूप से सशक्त हो। भारत के लिए, अफ्रीका केवल एक क्षेत्र नहीं है - यह ग्लोबल साउथ के भविष्य को आकार देने में एक भागीदार है।